डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2022 / 17658 दिनांकः 23 नवम्बर, 2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषयः PCI के संदर्भ संख्याः 14-443/2022-PCI (Appeal Process 2022-2023)/14705-09, दिनांकः 03.11.2022 के सम्बन्ध मे, उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु।

महोदय,

1. कृपया PCI के उक्त प्रश्नगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अचानक (Abruptly), PCI के Notification दिनांकः 03.11.2022 के माध्यम से एक लाइन का समान्य आदेश (General Order of One line) पारित करते हुए सभी फार्मेसी कालेजों के लिए, शैक्षणिक वर्ष 2022–23 हेतु शैक्षणिक वर्ष 2021–22 में "Approved Intake" को Restore कर लिया गया है।
2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, PCI द्वारा पूर्व में निर्गत अपने सभी Notifications द्वारा सभी फार्मेसी कालेजों के Intake को Reduce कर दिया गया एवं पुनः Abruptly, एक Common Notification दिनांक 03.11.2022 निर्गत कर, Intake Restore करते हुए, सभी फार्मेसी कालेजों की सीटों में अचानक (Abruptly) वृद्धि कर दी गयी।
3. **विश्वविद्यालय द्वारा PCI के पूर्व निर्गत सभी Notifications के आधार पर फार्मेसी कालेजों को पूर्व प्रदत्त Intake के लिए सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान करने हेतु, सम्बद्धता समिति (Affiliation Committee) द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 23(2) में उत्तर प्रदेश शासन का पूर्वानुमोदन (Previous Sanction) प्राप्त करने के पश्चात, Provisional Affiliation Letter निर्गत**

कर दिया गया। इसके पश्चात पूर्व प्रदत्त **Intake** के आधार पर **Prevailing Reservation Policy** लागू करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा **Seat Matrix** तैयार की गयी।

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Miscellaneous Application No. 1776/2022 in C.A No. 9048 /2012, Parshvanath Charitable Trust VS AICTE & Ors** में पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 के अनुपालन में, विश्वविद्यालय द्वारा फार्मेसी विधा के लिए शैक्षणिक सत्र 2022–23 में **Counselling** हेतु निर्गत **Schedule** के अनुसार, उक्त **Seat Matrix** के आधार पर **Counselling** प्रक्रिया के चारों चरण दिनांक 06.10.2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 12.11.2022 तक समाप्त हो चुके है।
5. पुनः इसी बीच **PCI** द्वारा **Abruptly, Intake** में वृद्धि कर दी गयी। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा पुनः **Increased Intake** हेतु सम्बद्धता समिति **(Affiliation Committee)** की बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 23(2) में उत्तर प्रदेश शासन का पूर्वानुमोदन **(Previous Sanction)** प्राप्त कर, पुनः **New Provisional Affiliation Letter** निर्गत कर, **Reservation Policy** के अनुसार पुनः **New Seat Matrix** तैयार कर, पुनः सम्पूर्ण नवीन **Counselling** एवं **Admission** की प्रक्रिया **Adopt** कर, मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Counselling** एवं **Admission** हेतु निर्धारित **Cut-off Date 20.12.2022** के पूर्व तक सम्पूर्ण नवीन प्रक्रिया पूर्ण करा पाना सम्भव नही है, जबकि यह विदित है कि एक बार चारों चरणों की **Counselling** प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। यदि **Counselling** एवं **Admission Schedule** दिनांक 20.12.2022 के पश्चात चला जाता है, तो इससे मा0 सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2022 की अवहेलना होगी।
6. इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 12.11.2022 को अध्यक्ष/सचिव PCI को पत्र भी प्रेषित किया गया है (प्रति संलग्न)। जिसकी प्रतिलिपि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 तथा सभी फार्मेसी कालेजों को भी प्रेषित है।
7. इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) द्वारा रिट याचिका संख्या Writ-C No. 8006/2022, विश्वेश्वरैया ग्रुप आफ इंस्टीटयूशन बनाम, उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 19.11.2022 (प्रति संलग्न) को याची कालेज के प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए,

निस्तारण आदेश दिनांक 19.11.2022 की प्रति प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, अध्यक्ष/सचिव PCI तथा सभी फार्मेसी कालेजो को भी प्रेषित की गयी है।

कृपया सन्दर्भित प्रकरण में उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(सचिन कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/सचिव पी0सी0आई0 को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष/सचिव/निदेशक/प्राचार्य, ए0के0टी0यू0 से सम्बद्धत सभी फार्मेसी संस्थान।
3. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ)को सादर सूचनार्थ।
4. श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पैनल अधिवक्ता, ए0के0टी0यू0, को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. विधि अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

23/11/22

(सचिन कुमार सिंह)
कुलसचिव